

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कृद्यामन)

वादी

मंदिर श्री दयालजी महाराज


बनाम

प्रतिवादीगण

लिखमाराम पुत्र भोमाराम

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

संख्या - 89 / 2013

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
25/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उष. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 17/07/25 को पेश होत	
17.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी को आवाजे लगाई गई परन्तु वकील वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2013 से प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पर्याप्त मात्रा में अवसर दिये गये है। परन्तु वकील वादी आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की तलबी की जाने में असमर्थ रहे तथा आज तारीख पेशी पर भी बावजूद तारीख पेशी सूचना के गैर हाजिर रहे है।</p> <p>अतः वकील वादी का अदम हाजरी व अदम पैरवी एवं न्यायालय आदेश दिनांक 09.05.2025 की पालना नहीं जाने पर सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: center;">               (जीतू कुलहरी)              उपखण्ड अधिकारी, नावां         </p>	